

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक डी.1 सी.6 / स्टेनो / 2025

दिनांक 27.09.2025

--: संशोधित कार्य विभाजन पत्रक ::--

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला भिण्ड से प्राप्त निर्देशानुसार प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से अधोहस्ताक्षरकर्ता मैं **श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक डी.1 / स्टेनो / 2025 दिनांक 07.04.2025 प्रभावशील दिनांक 07.04.2025 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय **भिण्ड, तहसील मेहगाँव एवं लहार स्थित श्री उत्कर्ष जैन एवं श्रीमती आयुषी जैन** से संबंधित कार्यविभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुए नवीन संशोधित कार्यविभाजन निम्नानुसार जारी करती हूँ:-

// मुख्यालय भिण्ड //

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आवंटित आरक्षी केंद्र	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
01.	श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड (म.प्र.) / (प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड)	बरोही, सुरपुरा, नयागाँव, पावई एवं महिला थाना	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय जिला मुख्यालय भिण्ड स्थित समस्त आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण एवं मानव तस्करी रोधी इकाई से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्र यातायात एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) भिण्ड की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने समस्त

		आपराधिक प्रकरण। 4. भिण्ड तहसील सीमा क्षेत्र के आबकारी वृत्त क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत होने वाले 34(1) व 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रकरण एवं आवंटित आरक्षी केंद्र के म.प्र. आबकारी अधिनियम के दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 5. भिण्ड जिले की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण— ए.— कारखाना अधिनियम 1948 बी.— श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) एवं राज्य के श्रम निरीक्षक/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियमों के आपराधिक प्रकरण। 6. भिण्ड जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। 7. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम(प्रतिबंध) अधिनियम 1978। 8. भिण्ड जिला में सरफेसी एक्ट से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र। 9. संपूर्ण जिला भिण्ड में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 बी.एन.एस.एस 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 10. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 11. जिला भिण्ड के आरक्षी केंद्रों से उद्भूत निरसन प्रतिवेदन (ई.आर.)। 12. खाद्य एवं औषधि विभाग भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 13. नापतौल विभाग भिण्ड और नगर पालिका भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। 14. तहसील भिण्ड वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 15. तहसील भिण्ड वृत्तांतर्गत उद्भूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण। 16. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 17. ऐसे अन्य अधिनियम जिनमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है एवं अन्य किसी विधि
--	--	--

			से संबंधित अपराध जो किसी के प्रभार में नहीं हो।
	जिला मुख्यालय भिण्ड के अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र		भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 लगायत 71, 75, 76, 77 के अपराध एवं पॉस्को अधिनियम से संबंधित अपराधों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के अधीन लिये जाने वाले कथन।
	तहसील अटेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केंद्र (अटेर, पावई, बरोही, फूप और सुरपुरा)		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 से 147 के अंतर्गत (नगर पालिका क्षेत्र भिण्ड एवं जिला मुख्यालय की तहसील सीमा क्षेत्र तथा कुटुंब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) आवेदन पत्रों से संबंधित विचारणीय मामले।
02.	डॉ. मनोज कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	सिटी कोतवाली	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मार्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना अटेर एवं पावई से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. पुलिस थाना अटेर एवं पावई क्षेत्र के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण।

			5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. जिला जेल मिण्ड में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंतर्गत धारा (196 बी.एन.एस.एस 2023) 8. जनपद पंचायत मिण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण। 9. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
03.	श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मिण्ड	देहात	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना फूप से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. पुलिस थाना फूप क्षेत्र के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र।

			6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
04.	श्री अभिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	उमरी	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना देहात एवं सुरपुरा से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियों 4. पुलिस थाना देहात एवं सुरपुरा क्षेत्र के एन.डी. पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
05.	श्री सत्यम देवलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	फूप	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की

			धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना कोतवाली एवं बरोही से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. पुलिस थाना कोतवाली एवं बरोही क्षेत्र के एन.डी. पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
06.	श्रीमती आयुषी शर्मा , न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	निरंक	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
07.	श्री विवेक माल , न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	अटेर	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो. अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध

			अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना उमरी एवं नयागॉव से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. पुलिस थाना उमरी एवं नयागॉव क्षेत्र के एन.डी. पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
// लहार //			
11.	श्री उत्कर्ष जैन , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार जिला भिण्ड	रौन एवं दबोह	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन

			या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित आरक्षी केंद्र के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना लहार, आलमपुर एवं मिहौना से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. पुलिस थाना लहार, आलमपुर एवं मिहौना के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त दाण्डिक प्रकरण। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
12.	श्रीमती आयुषी जैन , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार जिला भिण्ड	रावतपुरा एवं आलमपुर	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र.संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित आरक्षी केंद्र के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग

			जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 3. पुलिस थाना असवार एवं दबोह से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियों 4. पुलिस थाना असवार एवं दबोह के एन.डी. पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
// मेहगॉव //			
17.	श्री दिलीप कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मेहगॉव जिला भिण्ड	मेहगॉव एवं भारौली	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र. संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 3. संबंधित आरक्षी केंद्र के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस 2023) 4. पुलिस थाना अमायन एवं बरासों से संबंधित धारा 183

			बी.एन.एस.एस 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ। 5. पुलिस थाना अमायन एवं बरासों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 की धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 6. उपजेल मेहगॉव में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (196 बी.एन.एस.एस 2023) 7. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 8. तहसील मेहगॉव क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग मेहगॉव, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 9. तहसील मेहगॉव वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 10. तहसील मेहगॉव वृत्तांतर्गत उद्भूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण। 11. तहसील मेहगॉव सीमा क्षेत्र के आबकारी वृत्त द्वारा प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण। 12. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
18.	श्रीमती स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	निरंक	1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
19.	श्रीमती पूनम परिहार , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	गोरमी एवं महिला संबंधी बोर्ड	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 3. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील मुख्यालय मेहगॉव स्थित समस्त आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न

			होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म. प्र.संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण 5. संबंधित आरक्षी केंद्र के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023) 6. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
	तहसील मुख्यालय मेहगाँव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र		भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 लगायत 71, 75, 76, 77 के अपराध के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 184 के अधीन लिये जाने वाले कथन।
20.	श्रीमती श्रृष्टि दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव जिला भिण्ड	पुलिस थाना अमायन व बरासों	1. आवंटित आरक्षी केंद्र की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, बी.एन.एस. 2023 की धारा 88 लगायत 91 एवं 74 लगायत 78 व 75, म.प्र. संशो.अधि., 87, 96, 141, 64, 64 से 70, 81, 84 से 86 एवं 79 बी.एन.एस. 2023, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (196 बी.एन.एस.एस. 2023)

		3. आरक्षी केंद्र गोरमी से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023 (164 दं.प्र.सं) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ 4. संबंधित आरक्षी केंद्र के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्रस्तुत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं परिवाद पत्र। 6. संबंधित आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण। 7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
	तहसील मुख्यालय मेहगॉव के अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्र	केवल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023(164 दं.प्र.सं.) के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ

नोट – 1. आदेश दिनांक 06.10.2025 से प्रभावशील।

2. शेष कार्य विभाजन एवं कार्यप्रभार अनुसूची 1 अनुसार पूर्वानुसार यथावत् रहेगा।

(श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भिण्ड (म.प्र.)

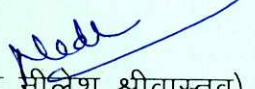
पृष्ठांकन क्रमांक.....1311

भिण्ड, दिनांक.....22.9.25

प्रतिलिपि :-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड (म.प्र.)
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी **भिण्ड, मेहगॉव एवं लहार** की ओर **ई-मेल** के माध्यम से सूचनार्थ।
04. वन मण्डलाधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.)
05. जिला आबकारी अधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.) की ओर कार्य विभाजन पत्रक प्रेषित कर लेख है कि कृपाया ज्ञापन की प्रति सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं समस्त आबकारी उपनिरीक्षक जिला भिण्ड (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर न्यायालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।
06. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला भिण्ड (म.प्र.)
07. सहायक श्रम आयुक्त, जिला भिण्ड (म.प्र.)

08. उप-संचालक अभियोजन, जिला भिण्ड (म.प्र.)
09. उप-संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड (म.प्र.)
10. उप-संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड (म.प्र.)
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.)
12. जिला अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भिण्ड, मेहगॉव एवं लहार जिला भिण्ड (म.प्र.) की ओर कार्य विभाजन पत्रक की प्रतिलिपियां प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराने की व्यवस्था करें।
13. अध्यक्ष अभिभाषक भिण्ड, मेहगॉव एवं लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)
14. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुविभाग भिण्ड की ओर उपरोक्तानुसार को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ हेतु प्रेषित।


(श्रीमती निधि मीलिश श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भिण्ड (म.प्र.)

